

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 27/11/17

क्रमांक रीडर/2017/2409

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1 पदमाराम 2 ताजाराम 3 नारणाराम
4 बांकाराम पिसरान विशनाराम
5 मांगीदेवी पत्नी तुलछाराम
6 जोगेन्द्र 7 मोटाराम पिसरान
तुलछाराम प्रार्थी संख्या 06 व 07
नाबालिग जरिये कुदरती वली माता
प्रार्थी संख्या 05 मांगीदेवी पत्नी
तुलछाराम जाति जाट निवासी पूर्वी
मातासर तहसील व जिला बाड़मेर।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम, करने
राजस्व आवेदन संख्या :- 35/2017

1 जोराराम 2 हनुमानराम पिसरान
चेतनराम 3 रावताराम पुत्र पदमाराम
4 पेम्पोदेवी पत्नी भूराराम 5 रुखमोदेवी
पत्नी पेमाराम 6 रामाराम पुत्र देवाराम
7 विशनाराम पुत्र बांकाराम 8 दीपाराम पुत्र
आईदानराम 9 जोगाराम पुत्र अचलाराम
जाति जाट निवासी पूर्वी मातासर तहसील
व जिला बाड़मेर 10 तहसीलदार बाड़मेर।

नेखमबन्दी बाबत
दिनांक-26-10-17-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मातासर पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 230 रकबा 55.16 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक-27/11/17

क्रमांक :- रीडर/2017/2410-13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भूरटिया तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. पदमाराम पुत्र विशनाराम वगैराह जाति जाट निवासी पूर्वी मातासर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जोराराम पुत्र चेतनराम वगैराह जाति जाट निवासी पूर्वी मातासर तहसील व जिला बाड़मेर।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर